राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 05 मार्च, 2026 / 14 फाल्गुन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

शिमला–2 दिनांक 26 फरवरी, 2026

संख्याःस्वास्थ्य–ए–बी(15)–20 / 2025.——व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, उनको सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सहायिकी, प्रसुविधा और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम

बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विभाग" कहा गया है) मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् "स्कीम" कहा गया है) प्रशासित कर रहा है;

और, स्कीम के अधीन, सहायिकी, प्रसुविधा और सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार संख्या का प्रमाण आवश्यक बनाया जाना प्रस्तावित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) स्कीम और उसके संबंध में जारी किए गए अनुदेशों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन टी बी / डी आर–टी बी रोगियों और आशा कार्यकर्ताओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् "लाभार्थी" कहा गया है) को प्रदान की जाती है;

और व्यय राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाता है;

और विभाग की वांछा है कि सरकार प्रसुविधा की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में प्रसुविधा प्राप्तकर्ता की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से, यह अपेक्षा करती है कि प्रसुविधा प्राप्तकर्ता को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कोई आधार संख्या समुदेशित नहीं है, उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करते हैं, अर्थातः–

1. (1) योजना के अधीन सुविधा प्राप्त करने की वांछा रखने वाले व्यक्ति को प्रमाणीकरण कराना होगा या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि किसी व्याक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उस मामले में आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगाः

परन्तु बालक के मामले मे ऐसा आवेदन केवल उसके माता–पिता या विधिक संरक्षक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, विभाग सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रसुविधा प्राप्तकर्ता का नामांकन किया जाए जो अभी तक नामांकित नहीं हैं या उनके आधार विवरण को उचित उपायों के माध्यम से अद्यतन किया जाए, जिसमें रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैः

परन्तु जब तक ऐसे प्रसुविधा प्राप्तकर्ताओं को आधार नंबर आबंटित नहीं किया जाता है, वह निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी पहचान स्थापित कर सकता है जिनके लिए वह हकदार है और जो प्रस्तुति के समय विधिमान्य है, या, ऐसे मामले में जहां ऐसे पहचान के लिए विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर प्रदान या अनुमोदित किया गया है, जो इसके तैयार कर्ता या रख–रखाव करने वाले प्राधिकरण के डेटाबेस से ऐसे दस्तावेजों की सत्यापन सूचना, ऐसा करने की सहमति देकर, इलेक्ट्रोनिक रूप से हासिल करने की सुविधा देता है, अर्थातः–

अठारह वर्ष से कम आयु के बालक के लिए, जिसे आधार संख्या समुदेशित नहीं की गई हैः

(क) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें नामांकन आई डी (ई आई डी) होती है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज यह प्रमाणित करने के लिए कि लाभार्थी अठारह वर्ष से कम आयु का बालक है, अर्थातः—

(i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(ii) भारतीय पासपोर्ट;

(iii) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या दसवीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या बारहवीं कक्षा का प्रमाण—पत्र या अंकों का विवरण;

(iv) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण—पत्र; या

(v) किसी प्रवासी वैदेशिक नागरिक के संबंध में —

(i) यदि वह भारतीय कार्ड धारक नागरिक है, तो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड ;

(ii) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र; या

(iii) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट; या

(iv) यदि वह विदेशी कार्डधारक भारतीय नागरिक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान वैध या समाप्त विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत के लिए लंबी अवधि का वीजा; या

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, जिसमें लाभार्थी की फोटो हो, जो उसके माता—पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को प्रमाणित करे, अर्थातः—

(i) राशन कार्ड;

(ii) जाति प्रमाण—पत्र या अधिवास प्रमाण—पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार के राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो; द्वारा जारी किया गया हो;

(iii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत या कार्यरत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान—पत्र;

(iv) भारतीय पासपोर्ट;

(v) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या दसवीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या बारहवीं कक्षा का प्रमाण–पत्र या अंकों का विवरण;

(vi) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय(बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण–पत्र; या

(vii) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,–

(i) यदि वह भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड;

(ii) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो क्षेत्रीय विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र;

(iii) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है; तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(iv) यदि वह विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या

(v) ऐसे लाभार्थी के बाबत जिसके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकता के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज है, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिक घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्याय अधिनियम, 1999 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; या

(vi) कोई अन्य दस्तावेज जो यथा विभाग विनिर्दिष्ट करे।

अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी के लिए जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है:––

(क) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केंद्र पर आपरेटर द्वारा प्रदान की गई हो, जिसमें ई आई डी शमिल है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, जिसमें लाभार्थी का फोटो हो, अर्थात्:–

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) जाति प्रमाण–पत्र या अधिवास प्रमाण–पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो; द्वारा जारी किया गया हो;

(iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी सेवानिवृत या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या दसवीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या बारहवीं कक्षा का प्रमाण–पत्र या अंकों का विवरण;

(vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) दिव्यांजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;

(ix) भारत में जारी किये गए ड्राइविंग लाइसेंस;

(x) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक या विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बालक देख–रेख संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण–पत्र; या

(xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,–

(I) यदि वह भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो क्षेत्रीय विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(IV) यदि वह विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या

(V) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके नाम विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकता के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज है, जो संरक्षक और प्रतिपान्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और सरंक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) राष्ट्रीय स्वपरायत, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशतता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण राष्ट्रीय इस्ट अधिनियम, 1999 (1999 का 44) का न्याम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या

(VI) कोई अन्य दस्तावेज जो विभाग विनिर्दिष्ट करे।

(4) उक्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी धारा (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषय–वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना के संबंध में जांच करेगा,–

(क) माईआधार पोर्टल (https:@@myaadhaar. Uidai.gov. in @portal) पर ईआईडी जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करे ताकि यह पुष्टि हो सके कि ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेजों के संबंध में तथा इस प्रयोजन के लिए किसी सरकारी संस्था या प्राधिकरण की सहायता ले सकेगा तथा प्रस्तुत जानकारी को उसके साथ सांझा कर सकेगा जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रख–रखाव से संबंधित है।

1. लाभार्थियों को लाभ आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मंत्रालय स्कीम के अधीन आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

2. जब आधार नंबर का प्रमाणीकरण किसी भी बायोमिट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे का प्रतिविव उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया जाता है, वह किसी भी कारण में असफल हो जाता है, जैसे कि बायोमिट्रिक सूचना की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे अर्थात्:–

(क) यदि प्रमाणीकरण का कोई विशेष बायोमिट्रिक–आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमिट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या वन–टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका, जहां भी व्यवहार्य और स्वीकार्य हो, से किया जाएगा,

(ख) ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के बायोमिट्रिक–आधारित या ओटीपी– आधारित तरीके संभव नहीं हैं, वहां उक्त स्कीम के अधीन लाभ, यथा स्थिति, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई–केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी दस्तावेज के आधार पर दिया जा सकता हैः

(i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात् आधार संख्या धारक को उसके आधार संख्या के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई–आधार (अर्थात् यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार–पत्र की पासवर्ड में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या जिसे एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता हो) सम्मिलित है, आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के पश्चात्।

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई–केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है), यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्कीम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर आईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के पश्चात्।

3. ऊपर दी गई किसी बात के होते हुए भी,–

(क) उक्त स्कीम के अधीन किसी बालक को लाभ देने से इनकार नहीं किया जाएगा–

(i) चल रहे प्रमाणन द्वारा पहचान स्थापित करने और आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में; या

(ii) नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में, जहां उसे आधार संख्या नहीं दी गई है; और

(ख) स्कीम के अधीन लाभ, ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित करके और पैरा 1 के खंड (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट रीति से उसके माता–पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके दिया जाएगा; और

(ग) जहां खंड (ख) के अधीन लाभ दिया जाता है, वहां उसके संबंध में एक रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा समय–समय पर समीक्षा और लेखा–परीक्षा की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें, विभाग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी– 26011 / 04 / 2017– डी बी टी (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,

एम सुधा देवी,
सचिव (स्वास्थ्य)।

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला.171002, Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154
Email:secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated the 2nd March, 2026

No. SEC-HP-F002(01)/1/2021-6636.—Whereas the State Election Commission *vide* Notification No. SEC:13-90/2016-V-1755-1919, dated 24th May, 2025 had issued the programme for delimitation of wards in respect of 73 Municipal Bodies in the State;

And whereas the State Election Commission had finally published delimitation of wards in respect of 73 Municipalities in the Official Gazette *vide* Notification dated 4th and 14th July, 2025.

And whereas creation/upgradation/inclusion of areas in following Municipalities were challenged before the Hon'ble High Court in various CWPs. The Hon'ble Court quashed the notifications of the Government with the directions to consider the objections of the petitioner(s) in accordance with law by passing a reasoned and speaking order after affording an opportunity of personal hearing in respect of following Municipalities:—